न्यायालय जिला कलक्टर, अलवर (राजस्थान)

अपील संख्याः– 12/95/2018

अपीलार्थीः–	प्रत्यर्थीः–
अजहर जावेद, प्लाट नं0 11–12, आकाशवाणी के पीछे बजरिया सवाई माधोपुर(राज0)	लोक सूचना अधिकारी एवं पदेन अति0 जिला कलेक्टर (प्रथम) अलवर

अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

––:: निर्णय ::––

दिनांकः– **14–08–2018**

1. अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 अन्तर्गत प्रत्यर्थी द्वारा प्रथम आवेदन दिनांकः 13.06.18 के बिन्दु सं. 02 व 03 में वांछित सूचना उपलब्ध नहीं कराए जाने के कारण प्रा0पत्र दिनांकः 18.07.18 के माध्यम से इस कार्यालय को प्रथम अपील प्रस्तुत की गई है।
2. अपीलार्थी द्वारा अपील पेश कर निवेदन किया है कि लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना उपलब्ध नही करवाई, सूचना उपलब्ध करवाई जावें।
3. अपील प्राप्त होने पर दर्ज कर वाँछित सूचना नहीं दिए जाने के संबंध में लोक सूचना अधिकारी से जवाब तलब किया गया एवं अपीलार्थी को नोटिस जारी किया कि यदि वह सुनवाई हेतु उपस्थित होना चाहता है तो दिनांक 14.08.2018 को उपस्थित आवें।
4. अपीलार्थी उपस्थित नही आया। लोक सूचना अधिकारी से जवाब प्राप्त हुआ।
5. पत्रावली का अवलोकन किया। लोक सूचना अधिकारी ने पत्रांक 1958 दिनांक 09.08.18 के माध्यम से जबाब नोटिस पेश किया जिसके द्वारा अवगत कराया है कि ''अपीलार्थी द्वारा बिन्दु सं. 02 व 03 के क्रम में वांछित सूचना किस आधार पर उपलब्ध नहीं कराई गई, के संबंध में प्रमाणिक दस्तावेज उपलब्ध करावें।''
6. चूँकि उक्तांकित प्रथम अपील प्रकरण में अपीलार्थी द्वारा प्रथम आवेदन दिनांकः 13.06.18 के बिन्दु सं. 02 व 03 में वांछित सूचना अन्य जिलों से भी प्राप्त की गई है जिनकी छायाप्रतियॉ भी प्रथम अपील में संलग्न कर प्रेषित की गई हैं। जिनके परीक्षणोपरान्त वांछित सूचना में ऐसी कोई गोपनीयता प्रतीत नहीं होती है जिससे अपीलार्थी को सूचना से वंचित किया जा सके।
7. अतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील स्वीकार की जाती है एवं लोक सूचना अधिकारी कलक्ट्रेट अलवर को निर्देशित किया जाता है कि प्रथम आवेदन दिनांकः 13.06.18 के बिन्दु सं. 02 व 03 में वांछित सूचना संबंधित शाखा से प्राप्त कर अविलम्ब निःशुल्क ही अधिप्रमाणित कर अपीलार्थी को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।
8. निर्णय की प्रति अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी को भिजवाई जावें।
9. निर्णय आज **दिनांक 14.08.2018** को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।
10. पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(प्रकाश राजपुरोहित)
जिला कलेक्टर,अलवर

जिला कलक्टर
अलवर (राज0)